प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छ. ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर

खंडपीठ

गणपूर्ति : माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता एवं माननीय न्यायाधीश श्री रंगनाथ चंद्राकर

विविध अपील (सी) क्र.- 49/2010

अपीलार्थी / दावाकर्तागण

1. श्रीमती लाखा बाई पति स्व. महेश कुमार, उम्र 27 वर्ष

2. चुम्मन कुमार आ. स्व. महेश कुमार, उम्र 09 वर्ष

3. रितेश कुमार आ. स्व. महेश कुमार, उम्र 07 वर्ष

4. कुमारी अंजू आ. स्व. महेश कुमार, उम्र 05 वर्ष

5. खिलेश कुमार आ. स्व. महेश कुमार, उम्र 04 वर्ष

6. कार्तिक राम टंडन आ. स्व. मनसुख टंडन उम्र 50 वर्ष

7. श्रीमती रानी बाई टंडन आ. कार्तिक राम टंडन उम्र 48 वर्ष

(अपीलार्थी क्रमांक 02 से 05 अल्प वयस्क हैं। उनकी ओर विधिक संरक्षक के रूप में उनकी माता अपीलार्थी क्रमांक 01 श्रीमती लाखा बाई) सभी निवासी संतोषी नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ. ग.)

बनाम

उत्तरवादी / अनावेदक

1. सीताराम डसेरिया, आ. बाबूलाल डसेरिया, उम्र 38 वर्ष, निवासी मोटवाड़ा जगदलपुर, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जगदलपुर जिला बस्तर (छ. ग.) वाहन चालक पंजीकृत ट्रक क्रमांक MP09/KA/9349

2. शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड , द्वारा उप –संभागीय अधिकारी , मेदिना बिल्डिंग , जेल रोड रायपुर, जिला रायपुर (छ. ग.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(वाहन के बीमाकर्ता , ट्रक का पंजीयन क्रमांक एम.पी. 09/ के. ए./ 9349)

मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के तहत प्रस्तुत अपील ज्ञापन

प्रस्तुत :- अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिवेंदु पंड्या

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर अग्रवाल एवं श्री पी दत्ता।

आदेश

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश मुख्य न्यायाधीश राजीव गुप्ता द्वारा पारित किया जाता है:-

1. दावाकर्ता गण ने यह अपील, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण धमतरी (संक्षेप में"अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 82/2009 में दिनांक 15.10.2009 को पारित आदेश की प्रतिकर राशि में अभिवृद्धि किये जाने हेतु पेश किया गया है।

2. अपीलकर्ता गण/ दावाकर्ता गण मृतक महेश टंडन की विधवा , अवयस्क बच्चे एवं उसके माता पिता द्वारा, मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा याचिका दाखिल की, जिसमें दिनांक 18.10.2008 को मोटर दुर्घटना में हुई उसकी मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में 17,50,000/- रुपये की माँग की गई। जिसके विपरीत , अधिकरण ने प्रतिकर के रूप में कुल राशि/रकम 1,06,000/- रुपये के साथ 06% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, दावा याचिका दाखिल किये जाने की तिथि से राशि की वास्तविक (पूर्ण) अदायगी तक दिया जाना अधिनिर्णीत किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अधिकरण ने उनके समक्ष पेश संपूर्ण साक्ष्यों का गहन जांच कर अभिनिर्धारित किया , कि मृतक महेश कुमार टंडन की मृत्यु दिनांक 18.10.2008 को मोटर दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी। दुर्घटना मोटर साइकिल के चालक की लापरवाही से हुई, जिसपर मृतक पिछली सवारी के रूप में यात्रा कर रहा था। और अन्य वाहन ट्रक के वाहन चालक जिसका ट्रक पंजीयन क्रमांक एम.पी. 09/के. ए.-9349 की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुआ। मोटर साइकिल चालक और ट्रक के चालक , प्रत्येक की लापरवाही 50% की सीमा तक थी। उपरोक्त ट्रक घटना के दिनांक को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमाकृत था। और इंश्योरेंस कंपनी ने पालिसी के किसी भी शर्तों के उल्लंघन को स्थापित नहीं किया है। इंश्योरेंस कंपनी दावेदारों को निर्धारित प्रतिकर राशि इस प्रकार के 50% के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

4. अधिकरण ने मोटर यान अधिनियम की धारा 163 A तहत द्वितीय अनुसूची में विहित राष्ट्रीय आय के आधार पर मृतक की आय 15,000/- रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया। मृतक के निजी खर्चों के लिए 15,000/- का 1/3 काटकर दावा कर्ता गणों की निर्भरता 10,000/- के साथ 18 के गुणक से गुणा करने पर 1,80,000/- रुपये प्रतिकर बनता है।

अन्य मदों के तहत 32,000/- रुपये अतिरिक्त प्रतिकर प्रदान कर अधिकरण ने प्रतिकर की कुल देय राशि 2,12,000/- रुपये निर्धारित की। जैसा कि ट्रक का चालक दुर्घटना के 50% की सीमा तक उत्तरदायी पाया गया। अधिकरण ने ट्रक के बीमा कर्ता को मोटर दुर्घटना में मृतक महेश कुमार टंडन की मृत्यु के लिए दावा कर्ता गणों को प्रतिकर स्वरूप कुल राशि 2,12,000/- रुपये का 50% अर्थात 1,06,000/- रुपये अदा करने का निर्देश दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिकरण ने आगे उपरोक्त प्रतिकर राशि 1,06,000/- रुपये पर दावा याचिका दाखिल करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने के निर्देश दिए।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंदु पंड्या ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने इस मामले को योगदायी उपेक्षा का प्रकरण अधिनिर्धारित कर गलती/ त्रुटि की है। प्रस्तुत मामला संयुक्त लापरवाही का है न कि योगदायी लापरवाही का। मृतक की आय के संबंध में साक्ष्य अस्वीकार कर और मृतक की आय केवल 15,000/- रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित कर और केवल 2,12,000/- रुपये / 1,06,000/- मुआवजा निर्धारित करने में त्रुटि की है।

6. दूसरी ओर उत्तरवादी क्रमांक 02 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ट्रक के बीमा कर्ता के विद्वान अधिवक्ता गण श्री सुधीर अग्रवाल एवं श्री पी दत्ता ने अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा अभिनिर्णीत प्रतिकर राशि 2,12,000/- रुपये / 1,06,000/- रुपये वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित एवं पर्याप्त प्रतिकर है।

7. जहाँ तक अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष का प्रश्न है कि, ट्रक का चालक दुर्घटना के लिए केवल 50% की सीमा तक उत्तरदायी है और तदनुसार संबंधित ट्रक के बीमाकर्ता को निर्धारित प्रतिकर का केवल 50% भुगतान किये जाने का निर्देश दिया गया है। यह दर्शित है कि मृतक महेश कुमार टंडन मोटर साइकिल का का केवल पीछे बैठा सवारी था और दुर्घटना के समय वह मोटर साइकिल का चालन नहीं कर रहा था।

8. शीर्ष न्यायालय ने टी. ओ. एंथोनी बनाम करवर्णन व अन्य (2008) 3 एस. सी.सी. के मामले में "योगदायी उपेक्षा" एवं "संयुक्त उपेक्षा" के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए पैरा -06 एवं 07 में अवधारित किया।

"06 "संयुक्त उपेक्षा" से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों की लापरवाही से जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों की लापरवाही के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति घायल होता है, तो कहा जाता है कि उन दोषियों की संयुक्त उपेक्षा के कारण व्यक्ति घायल हुआ था। ऐसे मामले में एक दोषी व्यक्ति घायल को संयुक्तरूप से या पृथकत: हुए संपूर्ण नुकसानी के भुगतान हेतु दायित्वधीन है और घायल व्यक्ति का यह चुनाव होगा कि वह सभी दोषियों या उनमें से किसी एक के विरूद्ध कार्यवाही करें। ऐसे मामले में घायल व्यक्ति को प्रत्येक दोषी के दायित्व की सीमा पृथक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है और न ही न्यायालय को प्रत्येक दोषी के उत्तरदायित्व की सीमा को पृथकत: अवधारित करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर जहां कोई व्यक्ति भागत: अन्य व्यक्ति की लापरवाही से घायल होता है, और भागत: स्वयं की लापरवाही के परिणामस्वरूप घायल होता है। तो घायल व्यक्ति की लापरवाही जो कि दुर्घटना में सहभागिता को उसकी "योगदायी उपेक्षा" मानी जायेगी। जहां घायल व्यक्ति कुछ लापरवाही का दोषी है तो नुकसानी के लिए उसका दावा केवल उसकी लापरवाही के कारण खारिज नहीं होता है, बल्कि चोटो के संबंध में उसके द्वारा वसूल किये जाने वाले क्षति उसकी योगदान देने वाली लापरवाही के अनुपात में कम हो जायेगी।

07 इसलिए जब दो वाहन किसी दुर्घटना में शामिल होते हैं और एक वाहन चालक अन्य वाहन चालक से लापरवाही के आधार पर उससे प्रतिकर का दावा करता है और अन्य चालक दावे या प्रतिकर देने से इस आधार पर इंकार करता है कि घायल दावाकर्ता से स्वयं लापरवाही की थी। तो यह विचार किया जाना आवश्यक हो जाता है कि घायल दावाकर्ता की लापरवाही थी या नहीं। जहां वह अकेला या भागत: दुर्घटना के लिए उत्तरदायी था और उसके दायित्व की सीमा तक उसकी लापरवाही है। इस प्रकार जहां घायल व्यक्ति भागत: स्वयं उत्तरदायी है वहां "संयुक्त दायित्व" का सिद्धांत लागू नहीं होगा। और न ही यह अपने आप अनुमान लगाया जा सकता है कि लापरवाही बराबर 50:50 की थी जैसा कि इस मामले में माना गया है। अधिकरण को अपीलार्थी के योगदायी लापरवाही की सीमा का

परीक्षण करना चाहिए था। और तद्नुसार संयुक्त उपेक्षा और योगदायी उपेक्षा के मध्य भ्रम से बचना चाहिए था। उच्च न्यायालय उक्त त्रुटि को सुधारने में विफल रहा।

9. जैसा कि वर्तमान प्रकरण में यह स्वीकृत है कि मृतक महेश कुमार टंडन दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों ट्रक या मोटर साइकिल किसी का भी चालन नहीं कर रहा था। अधिकरण ने निश्चित ही मृतक महेश कुमार टंडन के संबंध में इस मामले को "योगदायी उपेक्षा " का मानकर त्रुटि की है। टी. ओ. एंथोनी बनाम करवर्णन व अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत कथन को दृष्टिगत रखते हुए हम यह मानते हैं कि प्रस्तुत मामला "संयुक्त उपेक्षा" का है, जहाँ दावा कर्तागणों का चुनाव है कि वे दोनों संयुक्त दोषियों में से किसी से भी प्रतिकर / मुआवजे की संपूर्ण राशि का दावा कर सके। जैसा कि वर्तमान प्रकरण में दावेदारों ने ट्रक के बीमाकर्ता और वाहन स्वामी - चालक से प्रतिकर की संपूर्ण राशि के दावे का मांग किया। वे दावेदारों को प्रतिकर की संपूर्ण राशि के भुगतान हेतु दायित्वाधीन हैं।

10. अब हम निरीक्षण करेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर राशि 2,12,000/- वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित एवं पर्याप्त प्रतिकर है।

11. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मामले में यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालय / अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित एवं पर्याप्त होना चाहिए । यह न तो बहुत कम होना चाहिए और न ही बहुत अधिक।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह सच है कि, दावेदारों ने अभिवाक किया कि मृतक महेश कुमार टंडन गुरु कृपा धान मिल कुरुद में काम करके 6000/- रुपये प्रतिमाह कमाता था। मृतक की आय 6000/- प्रतिमाह को स्थापित करने हेतु दावेदारों द्वारा कोई ठोस , विश्वसनीय एवं निश्चित / निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। साक्ष्य की इस स्थिति में मृतक के आय के संबंध में दावेदारों के साक्ष्य को खारिज करने के अधिकरण के दृष्टिकोण में हमें कोई गलती नहीं पायी।

13. फिर, भी वर्ष 2008 में अधिकरण मृतक की आय 15000/- रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई जो कि निश्चित ही कम है और इस पर पुनः विचार किया जाने की आवश्यकता है।

14. अवधारित किया जाता है कि, मृतक महेश कुमार टंडन की दुर्घटना के समय उम्र लगभग 28 वर्ष थी। हमारी यह राय है कि वर्ष 2008 में एक अकुशल मजदूर के रूप में भी मजदूरी करके 70 -80 रुपये प्रतिदिन आसानी से कमाता होगा। इस लिए हम मृतक की आय 2000/- रुपये प्रतिमाह और 24000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रतिकर की राशि पुनर्गणना का प्रस्ताव करते हैं।

15. मृतक के निजी व्यय हेतु 24000/- रुपये का 1/3 काटकर दावेदारों की निर्भरता 16000/- रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है।

16. जैसा कि मृतक महेश कुमार टंडन की उम्र दुर्घटना के समय 28 वर्ष थी। हमारी राय में उचित गुणक - 17 होगा। सरला वर्मा (श्रीमती) व अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट निगम व अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उक्ति को देखते हुए (2009) 6 एस.सी. सी. 121 में प्रकाशित हुआ। जिसमें 26 -30 वर्ष के आयु वर्ग हेतु गुणक 17 विहित किया गया है।

17. वार्षिक निर्भरता की राशि 16000/- को 17 से गुणा करने पर 2,72,000/- होता है। दावा कर्ता गण अंतिम संस्कार के लिए 5000/- रुपये संपत्ति के हानि हेतु 5000/- एवं उनकी विधवा को सहचर्य की हानि की हानि के

लिए 5000/- रुपये प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार दावा कर्ता गण मोटर दुर्घटना में मृतक महेश कुमार टंडन की मृत्यु के लिए कुल 2,87,000/- रुपये प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं।

18. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता गण ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण के समक्ष पक्षकारों के बीच किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए की दावा कर्ता गण बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर किस अवधि तक ब्याज के हकदार हैं? प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की रकम का निर्धारण इस अपील में किया जा सकता है।

19. दावा याचिका और प्रस्तुत अपील के निपटारे में विलम्ब सहित सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करते हुए और तथ्य कि मामले में संपूर्ण विलंब के लिए अकेले बीमा कंपनी दोषी नहीं है। हम बढ़ी हुई प्रतिकर राशि 1,81,000/- पर 20,000/- रुपये ब्याज प्रदत्त करते हैं।

20. इस लिए उपरोक्त वर्णित कारणों से अपीलार्थी दावा कर्ता गण द्वारा प्रतिकर में वृद्धि हेतु दाखिल अपील को अंशतः स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा अभिलिखित "योगदायी उपेक्षा" के निष्कर्ष को अपास्त करते हुए अधिकरण द्वारा पारित राशि 1,06,000/- को बढ़ाकर 2,87,000/- किया जाता है। साथ में 1,81,000/- की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर 20,000/- रुपए ब्याज भी दिया जाता है।

21. प्रत्यर्थी क्रमांक 02 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कुल 2,01,000/- (दो लाख एक हजार रुपए मात्र) (बढ़ाई गई प्रतिकर राशि 1,81,000/- रुपये + बढ़ी हुई प्रतिकर राशि आंकलित ब्याज की राशि 20,000/-) को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष जमा किए जाने हेतु 3 माह का समय दिया जाता है।

22. व्यय के लिए आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　हस्ताक्षर

मुख्य न्यायाधीश　　　　　　　　　　　　　　　　　　आर. एन.
चंद्राकर

(न्यायाधीश)